सीमाशुल्क (अनंतिम आंकलन को अंतिम रूप देना) विनियम, 2018

अधिसूचना संख्या 73 /2018- सीमाशुल्क (गै.टै.) दिनांक 14अगस्त,2018

सा.का.नि. (अ).----- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 157 के उपवाक्य (घ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये,उक्त अधिनियम की धारा 18 के साथ और धारा 158 की उपधारा (2) के उपवाक्य (ii) के साथ पठित,केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है,यथा: -

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ.-** (1) इन विनियमों को सीमाशुल्क (अनंतिम आंकलन को अंतिम रूप देना) विनियम, 2018 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **परिभाषाएँ. –** (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत ना हो--

(क) 'अधिनियम' से अभिप्राय सीमाशुल्क अधिनियम,(52 का 1962) 1962 से है;

(ख) 'बोर्ड' से अभिप्रायकेन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्डसे है;

(ग) 'यथोचित अधिकारी' से अभिप्रायउपायुक्त या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क से है;

(2) जिन शब्दों और अभिव्यक्तियों का यहाँ प्रयोग हुआ है लेकिन उनको इस विनियम में परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन इस अधिनियम में परिभाषित किया गया है तो उनका वही अभिप्राय होगा जो उक्त अधिनियम में इनके लिए क्रमश: दिया गया हो।

3.प्रयोज्यता.-ये विनियम उन अनंतिम आंकलनों पर लागू होंगे जिनके लिए आदेश इन विनियमों के लागू होने के दिन एवं बाद में दिया गया हो।

4. अनंतिम आंकलनोंको अंतिम रूप देने के उददेशयार्थ कागजात या जानकारी प्रस्तुत करने की समय सीमा और तरीका. –

(1) जहाँ किअनंतिम आंकलन के लिए यथोचित अधिकारी ने इस कारण से आदेश दिया हो कि, -

(क) आयातकर्ता या निर्यातकर्ता ने आवश्यक कागजात या जानकारी उपलब्ध नहीं करायी है; या

(ख) यथोचित अधिकारी आयातकर्ता या निर्यातकर्ता से किसी अतिरिक्त कागजात या जानकारी को प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा रखता है;

तो ऐसी जानकारी या कागजातों को आयातकर्ता या निर्यातकर्ता के द्वारा ऐसे आदेश की तारीख से अथवा यथोचित अधिकारी द्वारा ऐसी मांग किए जाने की तारीख से एक महीने के भीतर, उपलब्ध कराया जाना होगा।

(2) यथोचित अधिकारी ऐसे अनंतिम आंकलन के आदेश की तारीख से 15 दिन के भीतर आयातकर्ता या निर्यातकर्ता को लिखित रूप में उस जानकारी का विशेष ब्योरा देने के लिए सूचित करेगा जिसको कि प्रस्तुत किया जाना हो या जो कागजात प्रस्तुत किया जाना हो।

(3) यदि उपनियम (1) में निर्धारित अवधि के भीतर उक्त कागजात या जानकारी नहीं उपलब्ध कराई जा पाती है तो यथोचित अधिकारी, आवश्यक कारण को लिखित रूप में दर्ज करते हुए, अपनी ओर से या आयातकर्ता या निर्यातकर्ता के अनुरोध पर इस अवधि को अधिकतम 3 माह की और अवधि दे सकता है।

(4) उक्त कागजात या जानकारी जिसे कि आयातकर्ता या निर्यातकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाना है या जो यथोचित अधिकारी के द्वारा अपेक्षित है निर्धारित अवधि के भीतर उपलब्धनहीं कराई जा पाती है तो, अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त, सीमाशुल्क,यथा संदर्भित समयावधि को अगले 3 महीने के लिए और भी बढ़ा सकता है।

(5) यदि आयातकर्ता या निर्यातकर्ता के द्वारा जमा किए जाने वाले कागजात या दी जाने वाली सूचना या यथोचित अधिकारी द्वारा अपेक्षित कागजात या जानकारी को

उप विनियम (4) के अंतर्गत बढ़ायी गयी समय सीमा के भीतर भी जमा नहीं किया जा पाता है तो सीमाशुल्क आयुक्त इस समयावधिको जितना उचित समझे उतना और भी आगे बढ़ा सकता है।

(6) कागजात या जानकारी जिसे कि आयातकर्ता या निर्यातकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हो या जिसे यथोचित अधिकारी द्वारा मांगा गया हो, को एक बार में प्रस्तुत कर सकता है।

(7) आयातकर्ता या निर्यातकर्ता या उसका कोई प्राधिकृत प्रतिनिधि या कस्टम्स ब्रोकर यथोचित अधिकारी को लिखित मे यह सूचना देगा कि उसने सभी कागजात या जानकारी, जिसको की जमा किया जाना अपेक्षित था या जिसकी मांग की गयी थी, को प्रस्तुत कर दिया है।

(8) इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक बिल ऑफ एन्ट्री या शिपिंग बिल, जैसी भी स्थिति हो, जिसको कि अनंतिम रूप से आंकलित किया गया हो, के बारे में यह माना जाएगा कि यहअनंतिम आंकलन का अलग मामला है।

5. अनंतिम आंकलनको अंतिम रूप देने की समय सीमा.-(1) यथोचित अधिकारी निम्नलिखित की प्राप्ति की तारीख से दो महीने भीतर अनंतिम आंकलन को अंतिम रूप दे देगा:

(**क**)विनियम 4 के उप विनियम (7) के अंतर्गतआयातकर्ता या निर्यातकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या कस्टम्स ब्रोकर से प्राप्त होने वाली सूचना; या

(ख) रासायनिक या अन्य परीक्षण रिपोर्ट,जहाँ कि इन्ही के कारण अनंतिम आंकलन का आदेश दिया गया हो; या

(ग) किसी जांच या पड़ताल या सत्यापन रिपोर्ट, जहाँ कि इन्ही के कारण अनंतिम आंकलन का आदेश दिया गया हो।

बशर्ते कि जहाँ कि कागजात या सूचना जिसेआयातकर्ता या निर्यातकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है या जिसके लिए यथोचित अधिकारी ने मांग की है, को कई बार में जमा किया जाता है तो वहाँ दो महीने की अवधि की गणना उपर्युक्त उपवाक्य(क) में संदर्भित अंतिम सूचना की प्राप्त होने की तारीख से की जाएगी।

बशर्ते और भी किजहाँ कागजात या सूचना जो किआयातकर्ता या निर्यातकर्ता द्वारा, जैसी भी स्थिति हो,प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है या जिसके लिए यथोचित अधिकारी ने मांग की है,को जमा नही किया जाता है या उसे आंशिक रूप से जमा किया जाता है और विनियम 4 के उप विनियम (3), (4) या (5),जैसी भी स्थिति हो,में कोई भी समयावधि बढ़ाई नहीं गयी है तो यथोचित अधिकारी उक्त कागजात या जानकारी को जमा किए जाने के लिए दिये गए समय के समाप्त होने की तारीख से दो महीने के भीतर अनंतिम आंकलनको अंतिम रूप देने की कार्यवाही को पूरा करेगा।

(2) यदि यथोचित अधिकारी उपर्युक्त उप विनियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट दो महीने की अवधि के भीतरअनंतिम आंकलनको अंतिम रूप नहीं दे पाता है तो संबन्धित आयुक्त, सीमाशुल्क लिखित मे कारण को बताते हुए, तीन महीने की अवधि और दे सकता है।

(3) यह विनियम ऐसे अनंतिम आंकलनोंके मामलों पर लागू नहीं होगा जिसको कि विचाराधीन रखने के लिए बोर्ड ने निर्देश दिया हो।

6. **अनंतिम आंकलनको अंतिम रूप देने का तरीका.-**(1) अनंतिम आंकलन को अंतिम रूप उक्त अधिनियम की धारा 18 में यथा अपेक्षित तरीके से दिया जाएगा।

बशर्ते कियदिअनंतिम आंकलन के समय या धारा 18 की उपधारा (2) के उपवाक्य (क) के तहत समायोजन के बाद भुगतान की गयी राशि अंतिम रूप से आंकलित या पुन: आंकलित राशि, जैसी भी स्थिति हो, से कम है और आयातकर्ता या निर्यातकर्ता ने “डेफ़िसिएनसी” का

भुगतान नहीं किया है तो इस प्रकार रह गयी “डेफ़िसिएनसी” को अनंतिम आंकलन के समय प्राप्त की गयी प्रतिभूति, यदि कोई हो, में से, आयातकर्ता या निर्यातकर्ता को इस बात की सूचना देते हुए समायोजित कर लिया जाएगा।

बशर्ते और भी किइस प्रकार समायोजित की गयी या भुगतान की गयी राशि अंतिम रूप से आंकलित या या पुन: आंकलित राशि, जैसी भी स्थिति हो, से फिर भी कम है, तो माल का आयातकर्ता या निर्यातकर्ता धारा 18 के प्रावधानों के अनुसार कम रह गयी इस राशि का भुगतान करेगा।

(2) अनंतिम आंकलन के समय प्रतिभूति के साथ साथ या उसके बिना जमा किए गए बंधपत्र को अनंतिम आंकलन को अंतिम रूप दिए जाने पर रद्द कर दिया जाएगा और प्रतिभूति को वापिस कर दिया जाएगा बशर्ते कि कोई देय बकाया ना हो।

(3) जहाँ किअंतिम आंकलन और अनंतिम आंकलन में विरोधाभाष हो वहाँ यथोचित अधिकारी नैषर्गिक न्याय के सिद्धान्त का अनुपालन करते हुए सुस्पष्ट आदेश देगा।

(4) जहाँ किअंतिम आंकलन में अनंतिम आंकलन की पुष्टि हो जाती है वहाँ यथोचित अधिकारी आयातकर्ता या निर्यातकर्ता से लिखित में ऐसे अंतिम आंकलन की स्वीकृति सुनिश्चित करने के पश्चात इसको अंतिम रूप देगा और आयातकर्ता या निर्यातकर्ता को लिखित रूप में ऐसी तारीख के बारे में सूचित कर देगा।

(5) जहाँ कि बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल को कस्टम्स औटोमेटेड सिस्टम में ईलेक्ट्रोनिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है ओर इसके अनंतिम आंकलन के लिए आदेश दिया जाता हैतो यथोचित अधिकारी इन विनियमों को विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के तहत अंतिम रूप दिये जाने के पश्चात इसको सिस्टम में भी इसको अंतिम रूप देगा।

7. दंड.- यदि कोईआयातकर्ता या निर्यातकर्ता या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि या कस्टम्स ब्रोकर इन विनियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है या ऐसे उल्लंघन के लिए उकसाता है

या इन विनियमों के किसी प्रावधान का अनुपालन नहीं कर पाता है, तो वह पचास हज़ार रुपए तक के दंड का भागी होगा।